

| | | |
|-------------|--|--|
| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थना पत्र संख्या 27/2019 GCMS NO. 2019/00030 उनवानी पवन कुमार सिंह बनाम मूलसिंह आदि अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|--|--|

02.08.2024

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में सुनवाई हेतु अधिवक्ता उभय पक्षकारान को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर अधिवक्ता उभय पक्षकारान हाजिर आये। अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली की गत आदेशिकाओं का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 2 की तामील करवाये जाने हेतु बार-बार आदेश दिये जाने के उपरान्त भी प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र दायरी से लेकर आज तक अप्रार्थी संख्या 2 की तामील नहीं करवाई है। इससे यह जाहिर होता है कि प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 2 की तामील कराने में कोई रुची नहीं है। बार बार आदेश दिये जाने के बावजूद भी पूर्व आदेशिकाओं की पालना बिना किसी उचित कारण के जानबूझ के नहीं की जा रही है। अतः प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र तामील के अभाव में आदेश 9 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो



(Handwritten signature)
02/8/24

(सविता शर्मा)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
जिला नीमकाथान (राज0)
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी